



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26072024-255770
CG-DL-E-26072024-255770

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2833]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 26, 2024/श्रावण 4, 1946

No. 2833]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 26, 2024/SHRAVANA 4, 1946

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2024

का.आ. 2974(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 3 और नियम 4 के उप-नियम (1) के साथ पठित, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित को संबंधित रक्तियों के निमित्त, भारतीय मानक ब्यूरो की शासी परिषद के सदस्यों के रूप में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त करती है: -

मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि और उपभोक्ता हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति:

- मुख्य महाप्रबंधक,
उपभोक्ता शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र,
ग्राहक सुविधा केंद्र, 801, साकार-II,
एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380006
- सदस्य

केंद्रीय अथवा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के मुख्य कार्यकारी:

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
- सदस्य

बी - 9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय,

नई दिल्ली - 110016

गुणवत्ता के लिए राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित औद्योगिक संगठन के अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक :

3. प्रबंध निदेशक, टीएमपीवीएल और टीपीईएम टाटा मोटर्स - सदस्य

टाटा मोटर्स लिमिटेड,

24, बॉम्बे हाउस, होमी मोदी स्ट्रीट,

मुंबई - 400 001

वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्थानों, तकनीकी, शैक्षणिक और पेशेवर संगठनों के प्रतिनिधि:

4. प्रो. सी.वी.आर. मूर्ति - सदस्य

सिविल इंजीनियरिंग विभाग,

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), मद्रास

आईआईटी पी.ओ. चेन्नई 600 036

5. डॉ. (श्रीमती) एन. कलईसेल्वी - सदस्य

महानिदेशक

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद,

अनुसंधान भवन, 2 रफी अहमद किदवई मार्ग,

नई दिल्ली - 110001

6. निदेशक, भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) नागपुर, - सदस्य

प्लॉट नं. 1, सेक्टर 20, मिहान (नॉन-एसईजेड),

नागपुर - 441108

[फ़ा. सं. वी-2/1/2021-बीआईएस]

भरत खेड़ा, अपर सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 2024

S.O. 2974(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) read with Rule 3 and Sub-rule 1 of Rule 4 of Bureau of Indian Standards Rules, 2018; the Central Government hereby appoints the following as members of the Governing Council of the Bureau of Indian Standards against respective vacancies for a period of two years with effect from the date of publication of this notification:-

Representatives of Recognized Consumer Organizations and Persons representing consumer interests:

1. Chief General Manager, -Member

Consumer Education and Research Centre,

Grahak Suvidha Kendra, 801, Sakar - II,

Ellisbridge, Ahmedabad - 380006

Chief Executive of Central or State Public Sector Enterprise:

2. Chairman & Managing Director, - Member
 Powergrid Corporation of India Limited
 B – 9, Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai,
 New Delhi – 110016

Chairman or Managing Director of Industrial Organization who is awardee of a National or an International Award for Quality:

3. Managing Director, TMPVL & TPEM, TATA Motors -Member
 Tata Motors Limited,
 24, Bombay House, Homi Mody Street,
 Mumbai - 400 001

Representatives of Scientific and Research Institutions, Technical, Educational and professional Organizations:

4. Prof. C. V. R. Murty -Member
 Department of Civil Engineering,
 Indian Institute of Technology (IIT), Madras
 IIT P.O., Chennai 600 036
5. Dr.(Mrs.) N. Kalaiselvi -Member
 Director General
 Council of Scientific & Industrial Research,
 Anusandhan Bhawan, 2 Rafi Ahmed Kidwai Marg,
 New Delhi – 110001
6. Director, Indian Institute of Management (IIM), Nagpur -Member
 Plot No. 1, Sector 20, MIHAN (Non-SEZ),
 Nagpur – 441108

[F. No.V-2/1/2021-BIS]

BHARAT KHERA, Addl. Secy.